छावनी परिषद कार्यालय
कनॉट रोड,
देवलाली छावनी – 422401
नासिक, महाराष्ट्र
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

सत्यमेव जयते

Office of the Cantonment Board
Cannaught Road,
Deolali Cantonment – 422401
Nashik, Maharashtra
Govt. of India, Ministry of Defence

फोन : 0253 – 2491206, फैक्स : 2492599, ई-मेल : ceodeol-stats@nic.in

"हर काम देश के नाम"

संख्या: 3960/BLD/E-8/ 1319 दिनांक : 30 /04/2024

सेवा में,

श्री नरेन्द्रसिंह अ. पाटील,
लाम रोड,
देवलाली ।

विषय: आवासीय भवन हेतु भवन आवेदन पत्र एवं नक़्शे की स्वीकृति हेतु ।

प्रिय महोदय,

संदर्भ: संसारी देवलाली छावनी के रेवेन्यु सर्वे संख्या 51/अ/1प/153/1/2प प्लाट संख्या 14 पर परिशोधित भवन नक्शा हेतु आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 19.03.2024 ।

02. भवन आवेदन क्रमांक BPA-APP-DEOL-2024-02-19-003508 दिनांक 19.03.2024 में उल्लिखित संसारी देवलाली छावनी के रेवेन्यु सर्वे संख्या 51/अ/1प/153/1/2प प्लाट संख्या 14 को ऑनलाइन स्वीकृति संख्या BPA-PN-DEOL-2024-04-23-002265 दिनांक 23.04.2024 (अनुलग्नक – अ) और छावनी परिषद संकल्प संख्या 08 दिनांक 15.04.2024 आवासीय परिशोधित भवन योजना को अनुमोदन दिया गया है । इसके अलावा आपको उक्त संबंध में नीचे दिए गए शर्तों का भी पालन करना अनिवार्य हे और यह स्वीकृति का एक भाग है :-

01. इस कार्यालय को लिखित रूप में निर्माण शुरू होने की तारीख की सूचना दी जानी चाहिए, ऐसा न करने की स्थिति में पत्र जारी होने की तारीख को ही निर्माण शुरू होने की तारीख के रूप में माना जाएगा ।

02. यह ध्यान दिया जाए कि परिषद के द्वारा किसी भी मामले में दो बार से अधिक विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

03. यदि आप इस कार्यालय को सूचित किए बिना या प्लिंथ पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना प्लिंथ स्तर से ऊपर निर्माण करते है तो आपके द्वारा किए गए निर्माण कार्य को अनाधिकृत माना जाएगा । प्लिंथ स्तर के निर्माण में और स्वीकृत भवन नक़्शे में किसी भी प्रकार का विचलन / अतिक्रमण होने पर, स्वीकृति के रद्द होने का जोखिम उठाना होगा, इसे ध्यान में ले ।

Scanned with OKEN Scanner

04. भवन नक़्शे के स्वीकृति के कारण आवेदकों और अन्य पक्षों के बीच / साथ किसी भी प्रकार की क़ानूनी विवाद उत्पन्न होने पर छावनी परिषद / मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पक्षदार नहीं बनाया जाएगा।

05. आपको विषय परिसर में 03 पेड़ लगाना होगा, जिसकी देखभाल आपके द्वारा की जायेगी एवं वह स्वीकृति का एक भाग होगा और उपरोक्त वर्णित अनुसार विभिन्न स्तरों में उसकी जाँच भी की जाएगी और जमा कि गई राशि की वापसी का दावा 08 वर्ष की अवधि के पूर्णता के बाद 01 वर्ष तक ही वैध होगा। आवेदक उपक्रम में सफल अनुपालन के अधीन यांनी लगाए गए पौधों को अच्छी तरह से बनाए रखना और यदि इस कार्यालय द्वारा जाँच के दौरान परिसर के अंतर्गत कथित संख्या में बढे हुए पेड़ पाएं गए तो 05 वर्ष की अवधि के पूर्णता के बाद ही 03 वर्ष अवधि के दरम्यान पेड़ हेतु जमा की गई राशि वापस की जाएगी। यदि उक्त निर्धारित अवधि के भीतर वृक्ष जमा की वापसी के लिए राशि का आवेदन नहीं किया गया, तो जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा और छावनी बोर्ड देवलाली खाते में जमा किया जाएगा। कृपया इसे ध्यान में रखें।

06. भवन निर्माण पूर्ण होने के 30 दिनों के अन्दर आपको इसकी जानकारी इस कार्यालय को देनी होगी, ऐसा न करने की स्थिति में भवन पर कर स्वीकृत अवधि समाप्त होने के बाद से लगायी जाएगी, कृपया इसे ध्यान में ले।

07. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82 के तहत सूचना के अनुसार, उपरोक्त पैरा (2) में उल्लिखित छावनी परिषद संकल्प के माध्यम से छावनी परिषद द्वारा आपको दिए गए स्वीकृति एवं इस पत्र के द्वारा आपको दिए गए भवन नक़्शे के अनुसरण में, आपको उक्त भवन के निर्माण / पुनःनिर्माण पूर्ण होने की तारीख एवं उक्त भवन पर कब्ज़ा किए जाने की तारीख की सूचना इस कार्यालय को देना आवश्यक है।

08. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82(1) के तहत भवन के पूर्ण होने या भवन पर कब्ज़ा करने की तारीख, जो भी पहले हो, से 30 दिनों के अन्दर आपको मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सूचना देना अनिवार्य है, विफल होने पर छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82(2) के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

09. आपको संशोधित विकास शुल्क का भुगतान करना होगा, यदि लगाया जाता है।

10. भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात, आवेदक को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 246 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी से पूर्ति प्रमाणपत्र करना होगा। पूर्ति प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, जलसंबंधन और विद्युतीय संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा, कृपया इसे ध्यान में ले।

11. भवन निर्माण पश्चात आपको उचित पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। पूर्ति प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात ही भवन पर कब्ज़ा किया जाएगा। छावनी अधिनियम, 2006 के तहत वर्तमान उपविधियां / निर्णय अनुसार उचित नियम / प्रक्रियाओं का पालन न करने पर आवेदक को जैसा लागू हो, जुर्माना देना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

12. श्रमिकों के साथ ही साथ आसपास की अन्य संपत्तियों के लिए आवश्यक सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य किया जाना चाहिए।

13. निर्माण स्थल पर सुरक्षा के लिए उचित साइन बोर्ड लगाए जाएंगे।

14. यदि निर्माण के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो यह मालिक की जिम्मेदारी होगी और छावनी बोर्ड किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

15. आपको स्वीकृत निर्माण स्थल पर धातु का एक बोर्ड लगाना होगा जिसपर मालिक का नाम, सर्वे संख्या, प्लाट संख्या, शिवर, स्वीकृति की तारीख और स्वीकृति की वैध अवधि आदि स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। धातु के बोर्ड पर ऐसा लिखा होना चाहिए की जो 50 फीट की दुरी से भी नग्न (खुली) आँखों द्वारा पढ़ा जा सके।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित।

भवदीय/ Yours faithfully,

(यू व्ही गोरवाड़कर) | (UV GORWADKAR)
सहायक कार्यकारी अधिकारी | Assistant Executive Officer,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी | For Chief Executive Officer
देवलाली छावनी परिषद के लिए | Deolali Cantonment Board

संलग्न: विधिवत अनुमोदित एवं मुहर लगी हुई
स्वीकृत नक़्शे (ब्लू प्रिंट) की प्रति

इसकी प्रति: जल पूर्ति विभाग।
छावनी बोर्ड, देवलाली : उचित कार्रवाई हेतु।

Scanned with OKEN Scanner